प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 102/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Manju Pandya W/o Ravindra kumar Pandya Add. 73, Roshan Nagar, Section-12, Savina, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार ऋषभदेव, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18-9-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/102/24/975—76 दिनांक 22.08.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2024/612—14 दिनांक 10.09.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि श्रीमती मन्जु पण्डया द्वारा आवेदन दिनांक 19.04.24 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक 2024/320 एवं 2024/321 दिनांक 23.05.24 के तहत जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भिजवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 10.09.2024 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 23.05.2024 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह अस्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10.06.2024 की सूचना उपलब्ध करवाई गई हो।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2024 को आवेदन किया गया तो किस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 23.05.2024 को ही सूचना प्रेषित किया जाना पत्रावली के अवलोकन से अस्पष्ट है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10.06.2024 से पूर्व ही दिनांक 23.05.2024 को सूचना प्रेषित की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में किये गये किसी अन्य आवेदन की सूचना प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित की गई है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2024 को किया गया आवेदन एवं प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 19.04.2024 को प्रेषित आवेदन एक ही होना संभव है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि दोनो

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

आवेदन एक ही प्रकृति के है एवं अपीलार्थी को प्रेषित सूचना दिनांक 23.05.24 अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुई है तो अपीलार्थी से सम्पर्क कर अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार ऋषभदेव एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर